निरीक्षण नोट डॉ जी एस भारद्वाज, मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर

दिनांक :– 08.12.2016

आज दिनांक 08.12.16 को सिरोही वन मण्डल अधीन जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तावित बत्तीसा नाला बांध में आने वाली वन भूमि का निरीक्षण किया। निरीक्षण दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के साथ उप वन संरक्षक सिरोही श्री शशि शंकर पाठक भारतीय वन सेवा अधिशासी अभियन्ता श्री जे पी शर्मा जल संसाधन विभाग सिरोही, सहायक अभियन्ता श्री ललित मोहन दाधीच, स्थानीय क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं स्टाफ मौजूद रहे। अधिशाषी अभियन्ता ने प्रस्तावित बांध की साईट एवं डूब में आने वाली भूमि को दिखाया जिसे अधोहस्ताक्षरकर्ता ने निरीक्षण किया।

उक्त बांध ग्राम देलधर के निकट बनाया जाना प्रस्तावित है जिसके कारण देलधर एवं भाकर टांकिया वन खण्ड के क्षेत्रों में भराव होगा। मौके पर मौजूद अधिशाषी अभियन्ता ने अवगत कराया कि उक्त बांध में क्यारी एवं निचलागढ़ के 64 व 20 परिवार क्रमशः प्रभावित होंगे जिनको वो नियमानुसार विस्थापित कर मुआवजा देंगे। उन्होने ये भी अवगत कराया कि बांध बनने से चार गांवों को सिंचाई, 31 गावों एवं 2 शहरी क्षेत्रों को पीने के पानी का लाभ होगा।

मौके पर घूम फिर कर देखा गया और वहां की वनस्पति में मुख्यतः धोंक (Anogeissus pendula), खिरनी (Wrightia tinctoria), पलाश (Burea monosperma), रोन्ज (Acacia leucophloea), सालर ;Boswellia serrata), बेर (Ziziphus mauritiana) इत्यादि है। Precipitous Slope के रॉकी एरिया में थोर (Euphorbia sp) एवं Riverian एरिया में गूलर (Ficus glomerata) की species हैं। Low Lying एरिया में अंग्रजी बबूल (Prosopis juliflora) की झाड़ियों के साथ साथ कीकर (Acacia nilotica) के भी पेड़ कहीं कहीं हैं।

उप वन संरक्षक सिरोही ने अवगत कराया कि उक्त परियोजना के कारण 30 सेमी से अधिक Girth के करीब 22000 पेड़ एवं करीब 46000 पौधे जिनकी Girth 30 सेमी से कम है, डूब क्षेत्र में आएंगे। चूंकि उक्त क्षेत्र न तो कोई अभ्यारण्य या किसी अन्य Protected Area का हिस्सा है और ना ही किसी Eco Sensitive Zone का हिस्सा है, परन्तु आरक्षित वन खण्ड का हिस्सा होने के साथ–साथ प्रस्तावित बांध महत्वपूर्ण Catchment Area का हिस्सा भी है। अतः प्रस्तावित बत्तीसा नाला के पूर्ण होने के उपरान्त वन खण्ड की महत्ता Local Bio-Diversity के साथ स्थानीय ग्रामवासियों के लिए बढ़ जाती है। अतः उचित होगा कि निरन्तर निगरानी हेतु Project Cost से उक्त क्षेत्र में एक Inspection cum Monitoring Station का बनाया जाना उचित होगा।

उप वन संरक्षक सिरोही ने अवगत कराया कि प्रस्तावित बांध हेतु 91.20 हेक्टेयर वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन करना पड़ेगा।

डॉ जी एस भारद्वाज,
मुख्य वन संरक्षक,
जोधपुर